प्राप्त/RECEIVED
स्थापना अनुभाग (नि.का.)/Establishment Section (DO)
अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली/A.I.I.M.S., New Delhi-29
दिनांक/Date 05/11/18

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(स्थापना अनुभाग (नि.का.)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.31-5/81-स्था.। दिनांक: 06 NOV 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2017-18 हेतु गैर-उत्पादकता से जुड़ा बोनस प्रदान करने संबंधी।

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2018 के कार्यालय ज्ञापन सं.7/24/2007/ई.III (ए) द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2017-18 हेतु गैर-उत्पादकता से जुड़ा बोनस प्रदान करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के भुगतान/प्रदान करने संबंधी कोई निर्देश सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

संस्थान के कर्मचारियों को वर्ष 2017-18 हेतु गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस को प्रदान करने संबंधी मामले पर निदेशक, एम्स द्वारा विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया है कि यह बोनस रू.4600/- ग्रेड वेतन वाले स्तर तक (समूह घ, ग एवं 'ख') के कर्मचारियों को इस शर्त के साथ प्रदान/भुगतान किया जाए कि यदि सरकार यह निर्णय करती है कि इस बोनस का एम्स नई दिल्ली में भुगतान नहीं किया जाएगा तो भुगतान की गई राशि लाभार्थियों के वेतन में से वसूल कर ली जाएगी। तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि गैर-उत्पादकता में जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान ग्रेड वेतन रू.4600/- (पे मेट्रिक्स का लेवल 7) तक के समूह घ, ग एवं ख' के कर्मचारियों को वित्त मत्रांलय के दिनांक 8 अक्तूबर, 2018 के का.ज्ञा.सं.7/24/2007/ई.III (ए) के निर्देशानुसार इस शर्त के साथ प्रदान कर दिया जाए कि यदि सरकार एम्स, नई दिल्ली में बोनस न देने का आदेश देती है तो इस राशि को संस्थान के कर्मचारियों/लाभार्थियों के वेतन से वसूल कर लिया जाएगा।

उपर्युक्त को विचार में लेते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि इसे सभी संबंधित कर्मचारियों की सूचना एवं जानकारी में लाया जाए।

इसे निदेशक, एम्स के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(बी.एस. गिल)
प्रशासन अधिकारी

प्राप्त किया / RECEIVED
कम्प्यूटर सुविधा / Computer Facility
06 NOV 2018
समय / Time 12:...PM.
अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली / A.I.I.M.S., New Delhi-29

वरिष्ठ वित्त सलाहकार
एम्स, नई दिल्ली

प्रतिलिपि:-

1. सभी केन्द्र प्रमुखगण।
2. सभी अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी, विभाग/एकक/अनुभाग।
3. निदेशक, एम्स के प्रधान निजी सचिव।
4. उप-निदेशक (प्रशासन)/चिकित्सा अधीक्षक के निजी सचिव।
5. लेखा अनुभाग II एवं III
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर सुविधा-कृपया इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

eo - 509396/2018/CP

No. F. 31-5/81-Estt.I

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

(ESTABLISHMENT SECTION (DO)

Ansari Nager, New Delhi – 29.
Dated the : 5th November, 2018

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Grant of Non-Productivity Linked Bonus to Central Govt. Employees for the year 2017-18 – Reg.

****

The Ministry of Finance, Department of Expenditure has issued instructions for grant of non-productivity linked bouus to Central Govt. Employees for the year 2017-18 vide OM No. 7/24/2007/E.III (A) dated 8th Oct., 2018. The instruction form the Government regarding payment/grant of ad-hoc bonus to employees of autonomous bodies have not been received so far.

The matter regarding grant of non-productivity linked bonus to institute employees for the year 2017-18 has been considered by the Director, AIIMS and it has been decided that the ad-hoc bonus may be granted/paid upto the level Rs.4600/- Grade Pay (Group D, C & B) conditionally that in case the Government decides that such bonus is not payable in AIIMS, New Delhi, the amount paid may be recovered from the salary of the beneficiaries. Accordingly, it is conveyed that the Non-productivity Linked Bonus (ad-hoc bonus) may be paid upto the Grade Pay of Rs.4600/- (Level -7 of pay matrix) to Group D, C & B, in accordance with Ministry of Finance OM No. 7/24/2007/E.III(A) dated 8th Oct., 2018, conditionally that in case the Government disallows the same to AIIMS, New Delhi, the amount paid will be recovered from the individual employee/beneficiaries.

In view of above, it is, requested to bring the above to the notice of all concerned for information

This issues with the approval of the Director, AIIMS.

Hindi version will follow.

5/11/18
(B.S.GILL)
Administrative Officer

The Sr. Financial Adviser,
AIIMS, New Delhi.

Copy to:-

1. All Chiefs of Centres
2. All Head/Officer-Incharge, Department/Unit/Sections
3. The PPS to Director, AIIMS
4. The PS to Dy. Director (Admn.)/Medical Supdt.
5. The Accounts Section II&III
6. The Officer-In charge, Computer Facility – With the request to upload this on Institute website.
7. The Sr. Hindi Officer – With request to provide hindi version of the above Memo. So that the same may also be uploaded on Institute website.

Sh. Pawan Kumar for n.a. please
06/11/2018